



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



प्रधानमंत्री आवास योजना कमल विहार



डॉ. रमन सिंह
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

EWS- 2 BHK 175 स्वतंत्र मकान

मूल्य (अनुमानित)

रु. 8.60 लाख

प्लॉट एरिया

596.45 वर्गफुट


कारपेट एरिया

322.21 वर्गफुट

सुविधाएं : ड्राईंग - डायनिंग रूम, 2 बेडरूम, रसोई, 1 टायलेट, यूटिलिटी एरिया

- आरसीसी संरचना का भवन, फ्लाइ एश की ईटें
- मकान की भीतरी दीवारें एवं छत सीमेंट प्लास्टर व व्हाइट वाश
- बाहरी दीवारों में वाटर प्रूफ सीमेन्ट पेंट बिजली की तारें, पानी के पाईप दीवारों के भीतर
- रसोई में स्टेनलेस स्टील का सिंक, प्लेटफार्म में ग्रेनाइट स्टोन पत्थर
- मकान में प्रकाश एवं हवा की पर्याप्त उपलब्धता
- दरवाजे में स्टील चौखट तथा फ्लश डोर शटर
- विट्रीफाईट फ्लोर टाइल्स, स्टील की खिड़कियां तथा पैनेल ग्लास
- बाथरूम व टायलेट में रेक्टिफाईट सिरामिक फ्लोर टाइल्स
- अंडरग्राउण्ड सीवरेज, 24x7 भूमिगत पानी सप्लाई
- विकसित उद्यान, दोपहिया पार्किंग की जगह, पोर्च में सीमेंट फ्लोरिंग

केन्द्रीय अनुदान
रु. 1.50 लाख



रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माताकर्मा कॉम्पलेक्स, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

Website : www.rdaraipur.com, www.facebook.com/rdaraipur

RERA Reg. No.

PCG RERA - 190618000236

Toll Free No. 1800 233 7188

नोट : इस विवरण पत्र में दी गई जानकारी सूचना मात्र है जो किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के लिए मान्य नहीं होगी। अधिक जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण से ली जा सकती है। विवरण पत्र में दी गई जानकारियां यथा विशेषताएं, मकानों की संख्या, क्षेत्रफल, तथा अनुमानित मूल्य में आवश्यकतानुसार संशोधन या परिवर्तन हो सकता है।



श्री राजेश मूणत

आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़



कमल विहार का सेक्टर मानचित्र



श्री संजय श्रीवास्तव


अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण



कमल विहार से दूरी
जयस्तंभ - 5 कि.मी.
बस स्टैण्ड - 7 कि.मी.
रेल्वे स्टेशन - 9 कि.मी.
एयरपोर्ट - 9 कि.मी.



Sector 2
EWS - 2BHK - 32



Sector 8A
EWS - 2BHK - 23



Sector 1
EWS - 2BHK - 80



Sector 10
EWS - 2BHK - 40

आवेदन की पात्रता : (1) आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र में 31 अगस्त 2015 की स्थिति में निवासरत हो (2) EWS हेतु पूरे परिवार की अधिकतम वार्षिक आय रु. 3,00,000/- तक (3) परिवार के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं हो.

आवेदन कौन कर सकता है ? : इस योजना के अंतर्गत परिवार की महिला मुखिया / परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर / जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो तब परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर आवेदन किया जा सकता है। परिवार से आशय - पति, पत्नी, अवस्क बच्चे, तथा आश्रित माता - पिता.

पंजीयन राशि: पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ रु. 30,000/- (तीस हजार रुपए) का बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण के नाम पर देय होगा।

आरक्षण : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार आरक्षण उपलब्ध।

आवंटन : लाटरी के माध्यम से

आधिपत्य : आवंटन आदेश के अनुसार निर्धारित प्रथम किश्त जमा करने के पश्चात् 3 वर्ष के भीतर दिया जाएगा।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज: (1) आरक्षित वर्ग से आवेदन करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, (2) मूल निवास प्रमाणपत्र (तहसील कार्यालय से अथवा नोटरी से सत्यापित शपथपत्र), (3) परिवार का आधार कार्ड, (4) आय प्रमाणपत्र (तहसील कार्यालय से जारी / नियोक्ता से / शपथ पत्र द्वारा), (5) आवेदन पत्र में संलग्न शपथपत्र नोटरी से सत्यापित हो, (6) भरे हुए आवेदन पत्र के साथ पंजीयन राशि रुपये 30,000/- का बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट।

अभिजीत सिंह भा.प्र.से.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी



श्री गोवर्धन दास खंडेलवाल
उपाध्यक्ष



गोपी साहू



रविन्द्र बंजारे



नारद कौशल



श्रीमती सुनयना शुक्ला



श्रीमती एम. लक्ष्मी



श्री रमेश सिंह ठाकुर
उपाध्यक्ष



रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माताकर्मा कॉम्प्लेक्स, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर

वेबसाईट: www.rdaraipur.com टोल फ्री नं. 1800-233-7188